

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-50/2020-21
(चित्रगुप्तनगर थाना कांड सं0-782/2020)

राज्य बनाम अनुज कुमार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
26/8/21	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2675/हि०शा० दिनांक 01.12.2020 के द्वारा चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या-782/2020, दिनांक 15.10.2020, धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक स्कूटी वाहन निबंधन संख्या- BR34C-3057 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।</p> <p>पुलिस निरीक्षक, खगड़िया अंचल के प्रतिवेदन दिनांक-25.10.2020 के अनुसार दिनांक-15.10.2020 को समय करीब 09:15 बजे वादी को सूचना मिली कि गुलाब नगर मोहल्ला में एक व्यक्ति स्कूटी एक्टिवा से शराब ढुलाई एवं बेचने का काम करता है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना में पदस्थापित पदाधिकारी स०अ०नि०, उदय कुमार मंडल एवं सशस्त्र बल तथा प्राइवेट स्कॉपियो गाड़ी से बताये हुये स्थान के लिये थाना से प्रस्थान किये। सुनसान जगह टिन एवं करकट से बना हुआ झोपड़ी का अपने सशस्त्र बलों के सहयोग से घेराबंदी कर घर के दरवाजे खोलने के लिये गये तो देखें कि अन्दर एक व्यक्ति खड़ा है, पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। वादी पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर अपना नाम अनुज कुमार, पे०-स्व० रविन्द्र साह, साकिन-गुलाब नगर, सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया बताया। साथ के दो सशस्त्र बल के जवान सिपाही परमेश्वर पासवान एवं अमन कुमार सिंह को एक स्कूटी, जिसका निबंधन संख्या- BR34C-3057 तथा झोपड़ी के बगल से मिट्टी के अंदर पीले रंग का दो प्लास्टिक दबा हुआ मिला, जिसे निकालने पर दोनों प्लास्टिक में क्रमशः 200 एम०एल० का 72 पाउच देशी शराब एवं 200 एम०एल० का 120 पाउच देशी शराब कुल-192 पाउच देशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। तत्पश्चात पकड़ाये व्यक्ति को गिरफ्तार कर जप्ती सूची के अनुसार बरामद शराब, तीन मोबाईल एवं स्कूटी के साथ थाना आये। वादी के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरुद्ध चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या-782/2020 दिनांक 15.10.2020 धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।</p> <p>चूंकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद- बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई के टिप्पण तारीख-सहित
	<p>घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा-58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई।</p> <p>अवैध रूप से शराब के खरीद-बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण-पृच्छा किया गया।</p> <p>विपक्षी को डाक एवं दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक-08.04.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके बावजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया।</p> <p>विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरुद्ध गठित आरोप सत्य है।</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।</p> <p>Section 13 : Prohibition of liquor or intoxicants – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or consume any intoxicant or liquor.</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।</p> <p>Section 30 : Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-</p> <p>(a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.</p> <p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :-</p> <p>(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टील), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;</p> <p>(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढंग से आयात की गयी, ढोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;</p> <p>(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;</p> <p>(घ) उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाटिपाणी तारीख सहि
	<p>परिवहन के अन्य साधन;</p> <p>(ड) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि स्कूटी एक्टिवा वाहन निबंधन संख्या-BR34C-3057 तथा झोपड़ी के बगल से मिट्टी के अंदर पीले रंग का दो प्लास्टिक में 192 पाउच देशी शराब बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त वाहन एवं मालिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा कुल-192 पाउच देशी शराब जो व्यापारिक उद्देश्य प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। किन्तु यह देखते हुए कि जप्त वाहन के दावेदार समाचार प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं हुए और वाहन जप्ती के स्थल की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि जप्त वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जाता था। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:-</p> <p>1. इस अपराध में प्रयुक्त स्कूटी वाहन निबंधन संख्या- BR34C-3057 जप्त कर चित्रगुप्तनगर थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित अधिनियम- 2018) की धारा- 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण-भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा-58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।</p> <p>2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे चित्रगुप्तनगर थाना में स्कूटी एक्टिवा वाहन निबंधन संख्या-BR34C-3057 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।</p> <p>3. अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि-रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।</p> <p>आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अपर समाहर्ता, -सह- अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।</p> <p>अपर समाहर्ता, -सह- अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।</p>	<p>उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।</p>